संयुक्त श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 05.03.2025 को 03:00 बजे अपराह्न में अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ एवं अन्य यूनियन द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना को समर्पित विवादों के आलोक में आयोजित वार्ता की कार्यवाही।

उपस्थिति :–

प्रबंधन पक्ष

1 श्री धीरेन्द्र कुमार	–	उप सचिव, SBPDCL, dhirubablu@gmail.com Mob No-9234271616
2. श्री राजकुमार सिन्हा	–	उप विधि परामर्शी (जेनरेशन), Mob No-9234271616
3. श्री विनोद प्रसाद	–	उप महाप्रबंधक, (कार्मिक), NBPDCL Mob No-7004163572
4 श्री राकेश कुमार	–	D.S. BSPHCL, Mob No-7763817311
5 श्री मुरारी कुमार	–	S.O XV, SBPDCL, murareenbpdcloctober@gmail.com Mob No-9709891721

<u>कामगार पक्ष</u>

1. सुधीर चौधरी–	अपर महामंत्री, बिहार स्टेट ई० सप्लाई वर्कर्स यूनियन, Mob No-9910228194
2. डी०पी० यादव–	उप महामंत्री, बिहार स्टेट ई० सप्लाई वर्कर्स यूनियन, विद्युत मजदूर भवन, दक्षिणी मंदीरी, पटनाध्महामंत्री बिहार स्टेट इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड पेन्सनर्स फोरम, विद्युत मजदूर भवन, दक्षिणी मदीरी, पटनाध्उप महामत्री अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ, उत्तर ध्पूर्व क्षेत्रीय कमिटी, Mob No-9934336044
3. अरविन्द कुमार–	केन्द्रीय मत्री–सह–अध्यक्ष कम्पनी मु०, पटना, बि०स०ई०स०व०यु० Mob No-8083552389

सर्वप्रथम कामगार पक्ष द्वारा प्रबंधन पक्ष को समर्पित विवादों के आलोक में आयोजित वार्ता में उपस्थित सभी सदस्यों का संयुक्त श्रनायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात् संयुक्त श्रमायुक्त द्वारा वार्ता के एजेन्डा के अनुसार विवादवार वार्ता की गई।

i. **तदेन विद्युत बोर्ड की अवधि से ही कार्यरत तकनीकी संवर्ग के अदक्ष श्रमिक एवं दक्ष श्रमिक को उच्चतर पद पर कार्यकारी प्रभार से वंचित रखना** – इस संबंध में प्रबंधन पक्ष द्वारा बताया गया कि नीतिगत निर्णय लेने हेतु संबंधित Section को कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया है। वार्ता की अगली तिथि को की गयी कार्रवाई से संबंधित अद्यतन स्थिति एवं अपने पक्ष के साथ उपस्थित होंगे।

ii. **लिपिकीय संवर्ग से अवनत कामगारों के समायोजन में आपके कार्यालय की दुर्भावनाग्रस्त मानसिकता के कारण न्याय नहीं मिलना** – इसके संबंध में प्रबंधन पक्ष द्वारा बताया गया कि विधि विभाग से इस बिन्दु पर परामर्श मांगा गया है। कामगार पक्ष द्वारा बताया गया कि संगठन द्वारा इस बिन्दु को उठाये जाने के पश्चात् बि० स्टे० पा० होल्डिंग कंपनी द्वारा एक कमिटि का गठन किया गया। कमिटि द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। तत्पश्चात् इसे निदेशक मंडल की बैठक में ले जाया गया। निदेशक मंडल ने कार्य एवं अनुभव के आधार पर इनको दिनचर्या लिपिक–सह–टंकण के पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा करते हुए इसकी प्रक्रिया भी निर्धारित की थी, जिसमें से पहली प्रक्रिया पूरी कर ली गई। परंतु दूसरी प्रक्रिया से पूर्व विधि विभाग को भेज दिया गया। कामगार पक्ष द्वारा पूछा गया कि Board of Directors को भेजने से पूर्व विधि विभाग को क्यों नहीं भेजा गया? इस संबंध में प्रबंधन पक्ष अगली वार्ता से पूर्व अपना स्पष्ट मंतव्य देंगे तथा लिपिकों के संबंध में भी अपने निर्णय से अवगत करायेंगे।

iii. **विद्युत आपूर्ति की सुव्यवस्था के रीढ़ मानवबल विद्युत कर्मी की उपेक्षा**– इस संबंध में श्रम संसाधन विभाग के अधिसूचना संख्या–5/एम०डब्लू–40–16/2021 श्रम०सं०–07 एवं 08 के माध्यम से अधिसूचित श्रेणियों के अनुसार अक्षरशः कार्रवाई करने पर सहमति दी गयी।

iv. **आपूर्ति के क्षेत्रों में स्थापित शक्ति उपकेन्द्रों में बटन–पट–चालकों से अकेला कार्य लेने की गलत प्रथा एवं वहां फ्युज कॉल सेन्टर की व्यवस्था से दुर्घटना में इजाफा** – इसके संबंध में प्रबंधन पक्ष द्वारा बताया गया कि होल्डिंग यार्डस्टीक कमिटी से शीघ्र प्रतिवेदन प्राप्त कर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

v. **विद्युत मजदूरों/पेन्सनरों/मानव बलों/आउटसोर्सिंग मजदूरों/महिला कामगारों की दर्जनो कानून सम्मत समस्याएं**– यह बिन्दु अनुपालित हो चुका है।

vi. **विद्युत कर्मियों को बोनस/रात्रि पाली भत्ता एवं अन्य बकाये भुगतान** – इसके सबंध में प्रबंधन पक्ष द्वारा सहमति दी गयी कि श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत देय लाभी को नहीं देने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसियों से पृच्छा की जाएगी।

vii. **ग्रीड सबस्टेशनों/विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों में आवास की अनुपलब्धता एवं आवासीय परिसर के दशा में सुधार** – इसके संबंध में कामगार पक्ष द्वारा बताया गया कि 29 पावर सबग्रीड स्टेशनों में ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। तत्सबंधी प्रबंधन पक्ष ने बताया कि ग्रीड सबस्टेशनों एवं विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों में आवासीय सुधार हेतु सिविल प्रमंडल स्तर से पत्राचार किया गया है।

viii. **सेवानिवृत कामगारों को मुफ्त बिजली उपभोग की सुविधा** – इसके संबंध में बताया गया कि इस बिन्दु पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। प्रबंधन पक्ष इस पर अंतिम निर्णय लेकर अवगत कराएगें।

ix. **सेवानिवृत कामगारों को चिकित्सा सुविधा,**

x. **स्थायी प्रकृति के कार्य में कार्यरत अस्थायी कर्मियों का स्थायीकरण,**

xi. **01.04.2004 के बाद नियुक्त कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन नीति लागू करना,**

xii. **सेवानिवृत कर्मियों के एक आश्रित की नियुक्ति,**

xiii. **पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ए०सी०पी० लागू करने की तिथि समान करना,**

xiv. **अनुकम्पा की नियुक्ति (सेवा शत) को बिजली बोर्ड में लागू सेवा शर्त की तरह करना।**

कंडिका–ix से xiv के संबंध में प्रबंधन पक्ष द्वारा अगली वार्ता तक का समय देने का अनुरोध किया गया।

उक्त के आलोक में पुन दिनांक 16.04.2025 को अपराह्न 03:00 बजे वार्ता करने पर सहमति दी गई। तद्नुसार वार्ता की अगली तिथि दिनांक–16.04.2025 को अपराह्न 03:00 बजे निर्धारित की गई है। उभय पक्ष उपरोक्त बिन्दुओं पर की गई कार्रवाई के साथ विवादवार अपना–अपना पक्ष लेकर वार्ता में भाग लेंगे।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(विजय कुमार)
संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–3 / डी–13 / 2025 श्र०सं०– 1217 पटना, दिनांक– 10/03/2025

प्रतिलिपि – अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, विद्युत भवन बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/3/25

संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–3 / डी–13 / 2025 श्र०सं०– 1217 पटना, दिनांक– 10/03/2025

प्रतिलिपि – प्रबंधन पक्ष / कामगार पक्ष के सभी प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/3/25

संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–3 / डी–13 / 2025 श्र०सं०– 1217 पटना, दिनांक– 10/03/2025

प्रतिलिपि – आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/3/25

संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।